पत्रांक-बि0प्र0सु0मि0सो0/RTPS-01/2011 (खंड) सो0....2267 दिनांक 12/09/22

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

डॉ0 प्रतिमा
अपर मिशन निदेशक

सेवा में ,

सभी जिला पदाधिकारी

विषय :- **बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम अंतर्गत स्थापित लोक सेवा केन्द्रों का निर्बाध रूप से संचालन सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में।**

महाशय ,

आप अवगत हैं कि लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम नागरिकों को नियत समय सीमा में अधिसूचित सेवाएँ प्रदान किए जाने की गारंटी प्रदान करता है। इस अधिनियम का क्रियान्वयन को जनोपयोगी बनाए रखने हेतु लोक सेवा केन्द्रों का नियमित औचक निरिक्षण किया जाता रहा है। हाल ही के दिनों में कुछ लोक सेवा केन्द्रों का औचक निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के क्रम में यह पाया गया है कि लोक सेवा केन्द्रों के संचालन हेतु नियुक्त किये गए कुछ कार्यपालक सहायकों को अन्य कार्यालयों में प्रतिनियुक्त कर दिया गया है जिसकी वजह से लोक सेवा केन्द्रों का कार्य बाधित हो रहा है।

अतः अनुरोध है कि लोक सेवा केन्द्रों के सुचारु संचालन हेतु लोक सेवा केन्द्रों पर नियुक्त कार्यपालक सहायकों की प्रतिनियुक्ति समाप्त की जाए।

विश्वासभाजन

12/9/22

(डॉ0 प्रतिमा)
अपर मिशन निदेशक